कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

–:: फिल्टर प्लांट ::–

निविदा शर्ते :–

1. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
2. अमानती राशि एफ.डी.आर. के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से ऑफलाईन जमा करना होगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को होगा।
4. पार्ट " A" में कलेक्टर दर पर लाभांश देय होगा। प्राप्त दर कलेक्टर दर से कम होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
5. निविदाकार को श्रम अधिनियम 1948 के दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. पार्ट " B" में नियमानुसार जी.एस.टी. दर देय होगा।
7. ई.पी.एफ. एव ंई.एस.आई.सी. नियमानुसार निविदाकार को जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार को कम से कम 75 एम.एल.डी. क्षमता के प्लांट का संचालन व संधारण करने को न्यूतनम 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
9. निविदाकार को माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को भुगतान करना होगा।
10. न्यूनतम दर दाता फर्म को कार्यआदेश जारी दिनांक से 01 माह के भीतर लेबर लाईसेंस जमा करना अनिवार्य होगा।
11. निविदाकार को समस्त संधारण कार्य एवं साफ–सफाई का कार्य करना होगा। संधारण सामाग्री लॉग बुक में संधारित कर सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार को संबंधित कर्मियों की उपस्थिति आधार बेस अटेंडेस में दर्ज कर उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
13. रखे गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं हो तो, उन्हें बदलकर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा।
14. आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
15. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की रहेगी।
16. अनुबंध हेतु पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस में अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अनुबंध नही करने पर फर्म द्वारा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
17. संलग्न अनुबंध प्रारूप अनुसार अनुबंध करना होगा तथा स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
18. स्कोप ऑफ वर्क के कंडिका क्रमांक 20 एवं 27 के अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत देयक से कटौती की जावेगी।
19. सभी कर्मचारियों को नगर पालिक निगम, रायपुर के स्वीकृति अनुसार ड्रेस कोड एवं आई.कार्ड उपलब्ध कराया जाना होगा।
20. कार्य स्थल पर निर्धारित संख्या में कर्मचारी रखा जाना होगा, निरीक्षण पर निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी पाये जाने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।
21. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्व मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
फिल्टर प्लांट
नगर पालिक निगम, रायपुर